संख्या– 1255/38–7–2008

प्रेषक,

डा0 जे0एन0चेम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब–कार्ड धारक को अनिवार्य रूप से जॉब–कार्ड हस्तगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या–54/38–7–2008, दिनांक 08–01–2008 एवं शासनादेश संख्या–793/38–7–2008, दिनांक 27–3–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 01 अप्रैल 2008 से 21 अप्रैल, 2008 तक अभियान चलाकर जॉब–कार्ड धारक को जॉब–कार्ड अनिवार्य रूप से हस्तगत करा दिया जाय।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि नरेगा के तहत कई स्थानों पर जॉब कार्ड का वितरण नहीं किया गया है तथा यह महत्वपूर्ण अभिलेख सरकारी कर्मचारियों/ग्राम प्रधानों के पास बड़ी संख्या में रखे हुये है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

3– इस संबंध में मुझे आपसे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद स्तर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन से संबंधित अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जायें कि समस्त जॉब–कार्ड वितरित कर दिये जायें एवं इस आशय का सर्टिफिकेट जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। शासन स्तर पर विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी तक जॉब–कार्डो के संबंध में स्थिति पूर्ववत बनी हुयी है।

4– अतएव अपने स्तर से समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि दिनांक 01 जून, 2008 से 15 जून, 2008 तक पुनः यह सुनिश्चित करायें कि जॉब–कार्ड धारक को जॉब–कार्ड अनिवार्य रूप से हस्तगत हो जायें तथा यदि पुनः इस शिकायत की पुनरावृत्ति होती है तो इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों एवं योजना के कियान्वयन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायें।

5– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शासन को अनुपालन आख्या दिनांक 20 जून, 2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,
Chemmel 31/5/08
(डा0 जे0एन0चेम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1255 (1)/88–7–2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।